(27)

उत्तरॉचल शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग
संख्या 1340 /XI/06/56(36)/2004
देहरादून ,दिनॉक 23 फरवरी 2007

कार्यालय ज्ञाप

राज्य में गरीबी की रेखा से नीचे तथा गरीबी रेखा से ऊपर रू0 32000 वार्षिक आय तक के आवास विहीन परिवारों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राज्य ऋण– सह –अनुदान ग्रामीण आवासीय योजना को 15 अगस्त 2004 से बृहद रूप से प्रारम्भ किया गया , जिसे वित्तीय वर्ष 2005–06 तक इन्दिरा आवास योजना के " **सरलीकृत ऋण –सह अनुदान आवासीय योजना** " घटक के विस्तारित रुप में संचालित किया गया ।

वर्ष 2004–05 एवं 2005–06 की उपलब्धियों के आधार पर राज्य सरकार एक " **ऋण –सह अनुदान आवासीय योजना** " पूर्णतया राज्य वित्त पोषित संचालित करने के लिए कटिबद्ध है । अतः वित्तीय वर्ष 2006–07 से "उत्तरॉचल राज्य ऋण –सह अनुदान आवासीय योजना " आरम्भ व संचालित की जा रही है ।

2. योजना का उद्देश्य

इस योजना का उद्धेश्य ग्रामीण आवास कार्यक्रम के आच्छादन को बढ़ा/विस्तारित (Up scale) कर आवास विहीनता को दूर कर लक्षित ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ व सुरक्षित आवास उपलब्ध कराया जाना है । इस मुख्य उद्धेश्य के अनुसांगी परिणाम ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रवाह में बढ़ोत्तरीएवं ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में उत्प्रेरण भी है ।

3. वित्त पोषण प्रणाली

निमित्त की जाने वाली आवासीय ईकाई की लागत रूपये 50,000.00 होगी जिसमें से राज्य सरकार द्वारा रूपये 10,000.00 अनुदान के रूप में प्रदान किया जावेगा तथा रूपये 40,000.00 बैंक ऋण होगा । अनुदान की राशि संबंधित लाभार्थी के बैंब खाते में जमा की जायेगी जिसका समायोजन Bank ended subsidy नियमों के अन्तर्गत होगा । लाभार्थी अपने योगदान से निर्मित होने वाले भवन पर रूपये 50,000.00 से अधिक व्यय करने के लिये स्वतंत्र होगा ।

4. योजना का लाभ

योजना का लाभ रूपये 32,000.00 तक की बार्षिक आय वाले समस्त ग्रामीण परिवार जो आवास विहीन हो अथवा जिनके पास (कच्चा , अर्धकच्चा व अर्ध विकसित आवास हो को दिया जायेगा तथा अनुसूचित जाति/जनजाति, मुक्त बन्धुआ मजदूरों गैर अनु0जाति/जनजाति के ग्रमीण परिवार, ग्रामीण क्षेत्रों में युद्ध में मारे गये सशस्त्र /अर्द्ध सैनिक बलों के जवानों की विधवायें तथा संबंधियों (उनके आय मानदण्ड पर ध्यान दिये बिना), तथा भूतपूर्व सैनिक एवं अर्द्ध सैनिक बलों के सेवानिवृत्त सदस्यों को प्राथमिकता दी जायेगी ।

5. वर्गवार निधियों का निर्धारण

जिले में योजना के अन्तर्गत उपलब्ध निधियां निम्नानुसार विभिन्न वर्गो के लिये निर्धारित की जाती है:–

- वित्तीय वर्ष में इन्दिरा आवास योज़ना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि की उच्चीकरण मद हेतु निर्धारित 20 प्रतिशत का अंत–पुच्छन (Dovetailing) इस योजना में किया जा सकता है। इस धनराशि के 60 प्रतिशत अंश अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों तथा 40 .....

प्रतिशत अंश गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के आवास विहीन हेतु उपयोग किया ज

➢ योजनान्तर्गत राज्य सैक्टर से दी जाने वाली धनराशि के 18 प्रतिशत अंश अनु जाति, 3 प्रतिशत अंश जनजाति तथा 79 प्रतिशत अंश गैर अनुसूचित जाति/जन के आवास विहीन परिवारों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने पर उपयोग ि जायेगा ।

6. लक्षित क्षेत्र

योजना का कियान्वयन सम्पूर्ण राज्य में किया जायेगा।

7. लाभार्थियों की पात्रता

- योजनान्तर्गत समस्त अनु0जाति/अनु0जनजाति के बी0 पी0 एल0 आवासह परिवार(स्त्री /पुरूष)।
- गैर अनु0जाति/अनु0जनजाति के बी0पी0एल0 आवासहीन परिवार (स्त्री /पुरूष) ।
- गरीबी रेखा से ऊपर रू0 32000.00 तक वार्षिक आय वर्ग के आवासहीन परिवार (स्त्री/पुरूष) ।
- ऐसे लाभार्थियों (स्त्री/पुरूष) की आयु 50 वर्ष से अधिक न हो तथा किसी भी बैंक /वित्त पोषित संस्था का बकायादार न हो ।

8. योजना कार्यान्वयन ऐजेन्सी

जनपद स्तर पर जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों तथा क्षेत्र स्तर पर विकास खण्डों को कार्यान्वयन एजेन्सी बनाया गया है।

9. भूमि की उपलब्धता

आबादी क्षेत्र में उपलब्ध, आवंटित भूस्थल अथवा कृषि भूमि पर आवास का निर्माण किया जा सकता है. भूमि के स्वामित्व के लिये लेखपाल/पटवारी द्वारा निर्गत मिनजुमला/वटा नम्बर सम्बन्धी खतौनी उद्धरण /प्रमाण–पत्र बैंकों हेतु पर्याप्त होगा।

10. लाभार्थियों का चयन

लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जायेगा , चयनित लाभार्थियों की सूची खण्ड विकास अधिकारी को उपलब्ध कराई जायेगी । जिसकी वे शतप्रतिशत जॉच करेंगें तथा तदोपरान्त अपनी संस्तुति मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित करेंगें। जिला स्तर पर इस सूची के कम से कम 20 प्रतिशत लाभार्थियों की जॉच की जायेगी तदोपरान्त सूची को अन्तिम रुप दिया जायेगा ।

11. बैंक ऋण पर स्टाम्प शुल्क

उत्तराचल राज्य में योजनान्तर्गत रू0 50,000.00 तक बैंक ऋण हेतु प्रभार्य स्टाम्प शुल्क को मुक्त रखा गया है ।

12 आवासों का निर्माण

- आवासों के निर्माण हेतु बैंकों द्वारा ऋण दो या तीन किस्तों में अवमुक्त किया जायेगा.
- लाभार्थी द्वारा मकान का निर्माण स्वयं किया/कराया जायेगा.
- मकान का कुल कुर्सी क्षेत्रफल कम से कम 20 घन मीटर होना अनिवार्य है.
- मकान में स्वच्छ शौचालय का निर्माण अनिवार्य है.

क्रमशः.....03.....पर

- मकानों का निर्माण भूकम्परोधी तकनीक के अनुसार किया जायेगा.
- स्थानीय रुप से उपलब्ध / निर्मित सामग्री के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जायेगा ।
- स्थानीय मजदूरों ,राज – मिस्त्रियों को ही रोजगार मुहैया कराया जायेगा ।
- कलस्टरों के रुप में आवास निर्माण को प्रोत्साहन दिया जायेगा ।

13. भौतिक सत्यापन

निर्मित होने वाले आवासों का शतप्रतिशत भौतिक सत्यापन किया जायेगा । आवासों का निर्माण 6 माह के अन्दर पूर्ण कराया जाना आवाश्यक है । सहायक खण्ड विकास अधिकारी द्वारा शत प्रतिशत सत्यापन किया जावेगा तथा उपरोक्त वर्णित मानकों के अनुसार कार्यपूर्ण होने का प्रमाण–पत्र खण्ड विकास अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा । खण्ड विकास अधिकारी प्रत्येक ग्राम पंचायत में कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्रों का शत–प्रतिशत सत्यापन करेंगें । जिला स्तर से भी पूर्ण हुये आवासों का कम से कम 25 प्रतिशत भौतिक सत्यापन किया जायेगा ।

14. अनुदान की स्वीकृति

प्रस्तर –13 के अनुसार कार्यवाही पूर्ण होने पर राज्य सरकार द्वारा दी गई धनराशि को अनुदान के रुप में प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा ।

(विभा पुरी दास)
प्रमुख सचिव

संख्या /340 (1)/XI/06/56(36)/2004

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव उत्तरॉचल शासन ।
2– आयुक्त, ग्राम्य विकास ,उत्तरॉचल पौड़ी ।
3– आयुक्त गढ़वाल एवं कुमॉयू मण्डल ।
4– समस्त जिलाधिकारी उत्तरॉचल ।
5– समस्त मुख्य विकास अधिकारी / अधिशासी निदेशक ,जिला ग्राम्य विकास अभिकरण उत्तरॉचल ।
6– समस्त परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण , उत्तरॉचल ।
7– निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र उत्तरॉचल देहरादून ।
8– समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तरॉचल ।
9– निजी सचिव–मुख्यमंत्री उत्तरॉचल को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ ।
10– निजी सचिव–मुख्य सचिव ,उत्तरॉचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ ।
11– वित्त (व्यय नियत्रंण) अनुभाग–4 ।
12– नियोजन विभाग ।
13– समाज कल्याण विभाग ।
14– गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(ललित मोहन आर्य)
उप सचिव

79
53

संख्या 144 /ग्रा.वि.वि./ 35 /2004

प्रेषक,

पी.एस.जंगपांगी,
अपर सचिव,
ग्राम्य विकास,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी
उत्तरांचल

बिषयः— नवीन सरलीकृत ऋण सह अनुदान ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत 50,000 रू. तक की ऋण सीमा पर स्टाम्प शुल्क में छूट विषयक।

ग्राम्य विकास विभाग : देहरादून : दिनांक 10 सितम्बर, 2004

महोदय,

उक्त विषयक शासनादेश संख्या 112/ग्रा.वि.वि./33/के.क्म. सब्सिडी/2004 दिनांक 10 अगस्त 2004में जारी दिशा निर्देशो के क्रम में अवगत कराना है कि नवीन सरलीकृत ऋण सह अनुदान ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत 50,000 रू. तक ऋण को स्टाम्प शुल्क से मुक्त कर दिया गया है। तत्सम्बन्धी वित्त अनुभाग 5 उत्तरांचल शासन के शा0 सं0 2634/(2)/वि.अनु.-5/स्टाम्प/(7)/स्टाम्प 04) 2004, दिनांक 27 अगस्त 2004 की छाया प्रति संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदश हुआ है कि जनपद स्तर पर वित्त पोषक संस्थाओ के साथ आवश्यक समन्वय उपरान्त योजना कियान्वयन हेतु तत्काल कार्यवाही करने का कष्ट करे ताकि सासमय वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यो की पूर्ति सुनिश्चित हो सके ।

भवदीय,

(पी.एस.जंगपांगी)
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

पत्रांक /ग्रा.वि.वि.तद्दिनांक

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को शा0 स0 2634/(2)/वी.अनु.-5/स्टाम्प/(7)/स्टाम्प 04) 2004,दिनांक 27 अगस्त 2004 की छाया प्रति संलग्न करते हुए इस अनुरोध के साथ कि योजना के कियान्वयन हेतु प्रभावी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

1. सहायक महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैक प्रधान कार्यलय, मार्ग दर्शी बैंक विभाग, मोती महल मार्ग हजरत गंज लखनऊ।
2. SBI अंचल कार्यालय कैन्ट रोड देहरादून।
3. प्रवन्ध निदेशक उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक हल्द्वानी।
4. जोनर मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक, देहरादून।
5. सहायक महाप्रबन्धक बैंक आफ् बडौदा क्षेत्रीय कार्यालयहल्द्वानी।
6. आयुक्त ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज निदेशालय उत्तरांचल।
7. ग्राम्य विकास अनुभाग, उत्तरांचल शासन।

(78)

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–5

संख्या– / xxvii(5)/स्टाम्प/(7/स्टाम्प/04)/2004
देहरादून: दिनांक 27 अगस्त, 2004

अधिसूचना

उत्तरांचल में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय–समय पर यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम,1899 (अधिनियम संख्या–2 सन् 1899) की धारा–9 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुये, श्री राज्यपाल सरकार की ऋण सह अनुदान योजनान्तर्गत बैंकों के माध्यम से लिये जाने वाले ऋणों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की छूट इस सीमा तक प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव।

संख्या– (1) /वि0अनु–5/स्टाम्प/(7/स्टाम्प/04)/2004,तददिनांक।

प्रतिलिपि, अंग्रेजी एवं हिन्दी अधिसूचना की प्रति उप–निदेशक, लिथो प्रेस,रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह इसे गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कराते हुए इसकी 200–200 प्रतियां शासन के वित्त अनुभाग–5 को उपलब्ध करा दें।

आज्ञा से,

(एल0एम0पन्त)
अपर सचिव।

संख्या– (2) उपरोक्तानुसार–5/स्टाम्प/(7/स्टाम्प/04)/2004,तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– सचिव,ग्राम्य विकास,उत्तरांचल शासन,देहरादून।
2– महानिरीक्षक,निबन्धन,उत्तरांचल,देहरादून।
3– मण्डलायुक्त,कुमायूं एवं गढ़वाल।
4– समस्त जिलाधिकारी,उत्तरांचल।
5– समस्त जिला निबन्धक,उत्तरांचल।
6– न्यायी/विधायी विभाग।
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

27/8/2004
(एल0एम0पन्त)
अपर सचिव।

(8)

(19)

संख्याः 659/के.क.सब्सि/35/ग्रा.वि.वि/06

प्रेषक,

सचिव,
ग्राम्य विकास
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी,

समस्त परियोजना निदेशक

ग्राम्य विकास विभागः देहरादूनः दिनांकः 5 ~~मार्च~~ सितम्बर, 2006

विषयः— सरलीकृत ऋण सह अनुदान आवास योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आयुक्त, ग्राम्य विकास निदेशालय, उत्तरांचल पौड़ी के पत्र संख्या 1717 दिनांक 28–8–2006 के अनुसार सरलीकृत ऋण सह अनुदान ग्रामीण आवास योजना के कियान्वयन में क्षेत्र निर्धारण की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के प्रस्तर संख्या 3 में महानगरों/नगरपालिकाओं के 20 कि0मी0 की परिधि को कम करते हुये 5 कि0मी0 की परिधि से बाहर स्थित ग्रामों में योजना कियान्वयन हेतु अधिकृत किया जाता है। कृपया पूर्व में जारी शासनादेश संख्या 112/35/के0क0स/ग्रा0वि0वि0/06 दिनांक 10–8–2006 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(पी0के0महान्ति)
सचिव

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1. आयुक्त, ग्राम्य विकास निदेशालय, उत्तरांचल पौड़ी।
2. उप सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तरांचल शासन।
3. सहा0 महाप्रबन्धक, एस0एल0बी0सी0।(समन्वयक), भारतीय स्टेट बैंक, आंचलिक कार्यालय, राजपुर रोड, देहरादून।

5/9/06

(पी0के0महान्ति)
सचिव

R-5140
18-9-06